

Fourteenth Loksabha

Session : 5

Date : 24-08-2005

Participants : Tirath Smt. Krishna

Title : Need to review the decision making use of seat belt compulsory to front sitters in vehicles in Delhi.

श्रीमती कृणा तीरथ (करोल बाग) : महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि दिल्ली जैसे शहर में जहां इतना ट्रैफिक हो, सड़कों पर इतनी कम स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, जिससे बैल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह जरूरत तब होती है जब हाई-वे पर बहुत अधिक गति से गाड़ी चल रही हो और उससे हैड-इंजरी का डर रहता है कि कहीं जोर से ब्रेक लगने पर या दुर्घटना होने पर बैल्ट का फायदा है। किंतु दिल्ली में इससे परेशानी है। खास तौर से महिलाओं को। अगर वह गर्भवती है, तो और भी दिक्कत होती है। किंतु सड़कों पर खड़ी हुई ट्रैफिक पुलिस यह सब नहीं देखती और गाड़ी नम्बर नोट कर उस गाड़ी का चालान सीधे घर भेज देती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इस सीट बैल्ट को आवश्यक घोषित न करके इसे समाप्त किया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: In future I would like to request you also that only the text, which is already given to the Notice Office, will go on record.

SHRIMATI KRISHNA TIRATH : I have already given the text.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But you have not read from the text.
